

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

मंत्रियों के विवेकाधीन अनुदान मद में रूपये 930.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है । इस मद में रूपये 200.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय हेतु रूपये 9,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 2

राज्य लोक सेवा आयोग में परीक्षा आयोजन हेतु रूपये 58.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 3

मंत्रालय में कम्प्यूटर क्रय हेतु रूपये 9.81 लाख व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । इस हेतु रूपये 100 आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 4 से 5

लोक आयोग में अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं वाहन क्रय हेतु रूपये 48.60 अतिरिक्त व्यय संभावित है । वाहन क्रय हेतु रूपये 24.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय हेतु रूपये 48,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2251

मद क्रमांक 6

सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर रूपये 12.75 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 12,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।